

# लॉकडाउन 2 दिशानिर्देश | MHA लॉकडाउन 2.0 अधिसूचना 15 अप्रैल 2020 (पीडीएफ) (Guidelines in Hindi)

यहां दिशानिर्देश दिए गए हैं, कृपया इसके अनुसार पढ़ें और पालन करें:

## COVID-19 प्रबंधन के लिए अनुलग्नक 1 राष्ट्रीय निर्देश

### सार्वजनिक स्थल

- सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे।
- किसी सार्वजनिक स्थान का कोई संगठन / प्रबंधक 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं देगा
- विवाह और अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनियमित किए जाएंगे।
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माना के साथ दंडनीय होगा।
- शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए और थूकना सख्त प्रतिबंधित होना चाहिए।

### कार्यस्थल

- सभी कार्यस्थलों पर तापमान जांच की पर्याप्त व्यवस्था होगी और सुविधाजनक स्थानों पर सैनिटाइज़र प्रदान किए जाएंगे।
- कार्यस्थलों में बदलाव के बीच एक घंटे का अंतर होगा और सामाजिक गड़बड़ी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के दोपहर के भोजन के ब्रेक को रोक देगा।
- 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सह-रुग्णता वाले माता-पिता और व्यक्तियों को घर पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा
- सभी संगठन शिफ्टों के बीच अपने कार्यस्थलों को पवित्र करेंगे।
- बड़ी बैठकें निषिद्ध हैं। निर्माण सामग्री
- आम सतहों की लगातार सफाई और अनिवार्य रूप से हाथ धोना अनिवार्य होगा।
- कैंटीन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शिफ्ट्स और कंपित लंच का कोई ओवरलैप सुनिश्चित नहीं किया जाएगा।
- अच्छी स्वच्छता प्रथाओं पर गहन संचार और प्रशिक्षण लिया जाएगा

## कार्यालयों, कार्यस्थल, कारखानों और प्रतिष्ठानों के लिए सामाजिक भेद के लिए अनुबंध II मानक संचालन प्रक्रिया निम्नलिखित उपाय सभी कार्यालयों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा लागू किए जाएंगे:

- परिसर सहित सभी क्षेत्रों को उपयोगकर्ता के अनुकूल कीटाणुनाशक माध्यमों के उपयोग से पूरी तरह से कीटाणुरहित किया जाएगा:
  - क) भवन, कार्यालय आदि का प्रवेश द्वार।
  - बी) कैफेटेरिया और कैंटीन।
  - ग) बैठक कक्ष, सम्मेलन हॉल / खुले क्षेत्र उपलब्ध / बरामदा / प्रवेश द्वार स्थल, बंकर, पोर्टा कैबिन, भवन आदि।
  - डी) उपकरण और लिफ्टों।
  - ई) वॉशरूम, टॉयलेट, सिंक, वॉटर पॉइंट आदि।
  - च) दीवारों / अन्य सभी सतहों
- बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर बिना किसी निर्भरता के विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। इन वाहनों को केवल 30-40% यात्री क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनरी को स्प्रे अनिवार्य रूप से कीटाणुरहित किया जाना चाहिए।
- कार्यस्थल में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए सभी की थर्मल थर्मल स्कैनिंग।
- श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जाए
- टच-फ्री तंत्र के साथ अधिमानतः हाथ धोने और सैनिटाइज़र का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं और सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा। सभी वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए।
- कार्य स्थानों में बदलाव के बीच एक घंटे का अंतर होगा और सामाजिक गड़बड़ी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के दोपहर के भोजन के ब्रेक को डगमगाएगा
- 10 से अधिक लोगों की सभा या सभाओं को हतोत्साहित करना। नौकरी की साइटों और सभाओं, बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में दूसरों से कम से कम 6 फीट की दूरी पर बैठें
- 2/4 से अधिक व्यक्तियों (आकार के आधार पर) को लिफ्ट या होइस्ट में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
- चढ़ाई के लिए सीढ़ी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- गुटखा, तम्बाकू आदि का सख्त प्रतिबंध होना चाहिए और थूकना सख्त वर्जित होना चाहिए।
- साइटों पर गैर-आवश्यक आगंतुकों पर कुल प्रतिबंध होना चाहिए।
- आसपास के क्षेत्रों के अस्पताल / क्लीनिक, जो सीओवीआईडी -19 रोगियों के इलाज के लिए अधिकृत हैं, की पहचान की जानी चाहिए और कार्य स्थल पर हर समय सूची उपलब्ध होनी चाहिए।